



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

M vc@mgaugkp.ac.in @ www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819



सं० / AUVH015 / MGAU / 2024-2025 / 1038

Ref.....

—: सम्बद्धता आदेश :-

Date: 20/12/24

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या-420/79-वि-1-20-1(क)-8-2020 लखनऊ दिनांक-12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या-348/79-वि0-1-21-1-क-3-21 दिनांक-05.03.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम-2021 के अध्याय-2 की धारा-5 (घ) व अध्याय-5 की धारा-28 के क्रम में कालेज कोड-AUVH015 शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बड़हलगंज, गोरखपुर को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली द्वारा विगत 04 वर्षों में प्राप्त मान्यता एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये सम्बद्धता के आधार पर मा० कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2025-2026 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या (ई०डब्ल्यू०एस० सहित)
1	बी० एच० एम० एस०	125 सीट (ई०डब्ल्यू०एस० सहित)

सम्बद्धता की शर्तें-

- संस्था/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित सीट पर ही व प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस ही छात्रों से लिया जायेगा तथा महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था द्वारा सत्र 2025-2026 में आवेदित सीटों की सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त यदि एन०सी०एच० नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025-2026 में सीटों की कमी की जाती है तो काउंसिलिंग के माध्यम से उतनी ही सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा अथवा यदि सीटों में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो विश्वविद्यालय से बढ़ी हुई सीटों की सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा।
- संस्था को एन०सी०एच० नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के पूर्व यदि निर्धारित मानक में किसी कारणवश कमी होती है तो तीन दिवस के अन्दर कुलसचिव को सूचित किया जायेगा।
- एन०सी०एच० नई दिल्ली द्वारा किसी कारणवश यदि संस्था को मान्यता नहीं प्रदान किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीटें कम किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सत्र 2025-2026 का सम्बद्धता आदेश एन०सी०एच० नई दिल्ली से प्राप्त सीटों की मान्यता तक मान्य होगा।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव

संख्या-

/ सं० / AUVH015 / MGGAU / 2024-2025

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, होम्योपैथिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रधानाचार्य शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बड़हलगंज, गोरखपुर।
7. निजी सचिव, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(अजीत कुमार जायसवाल)
कुलसचिव